

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1831] No. 1831] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

का.आ. 2056(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एन 2 प्रवर्ग और एन 3 प्रवर्ग के सभी माल यानों को केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 125ग के उप—नियम (4) के अधीन यथा उपबंधित केबिन के लिए वातानूकुलित प्रणाली से ऐसे यानों को सज्जित करने की अपेक्षा के लागू करने से, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 तक, छूट प्रदान करती है।

[सं.आर.टी-11028 / 02 / 2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

S.O 2056.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts all goods vehicles of category N2 and category N3 from the applicability of requirement of such vehicles to be fitted with air conditioning system for cabin as provided under sub-rule (4) of rule 125C of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, up to 31st December, 2017.

[No. RT-11028/02/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

4037 GI/2017